पारादीप पोर्ट में वाहनों की आवाजाही

(यातायात नियंत्रण)

आदेश १९७५

पारादीप पोर्ट १९ मार्च, १६७६

सं या: १९८६/ इंडियन पोर्ट्स एक्ट १९०८ की धारा ६ के अधीन पठित पारादीप पोर्ट नियम १९६६ के नियम ९१ के प्रावधानों के अनुरूप नि नलिखित आदेश तैयार किया जाता है, नामत:

१ लधु शीर्षक एवं क्रियान्वयन

१) इस आदेश को पारादीप पोर्ट वाहनों की आवाजाही (यातायात नियंत्रण) आदेश, १९७५ के नाम से पुकारा जा सकता है।

२) यह उड़ीसा सरकार के गृह विभाग (विशेष खंड) अधिसूचना सं या २१८४/सी, आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, १९२३ की धारा (२) के तहत दिनांक २८ अप्रैल, १९६६ का पारादीप पोर्ट की सीमाओं के भीतर बतौर प्रतिबंधित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित और अन्य क्षेत्रों के अलावा सभी जहाजी घाटों, शेडों, द्वारों और उसमें वर्णित पारादीप पोर्ट की सीमाओं के भीतर पूरे क्षेत्र में लागू होग।

३) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

२ मोटर लॉरियां, ट्रक और सामान आदि की ढुलाई में अन्य वाहन व बसों, मिनी बसों, स्टेज कैरिज वाहनों आदि किसी भी सड़क या पोर्ट के भीतर जहाजी घाट या पोर्ट सीमा के भीतर नहीं चलाए जाएंगे, या ट्रैफिक मैनेजर द्वारा इसके लिए जारी लाइसेंस के बिना पोर्ट में दाखिल होने की अनुमति नहीं होगी और केवल नि नलिखित शर्तों के साथ तदनुरूप प्रवेश की अनुमति होगी नामत:

१) ऐसे सभी वाहनों को मोटर व्हीकल्स एक्ट, १९३८ और उसके अधीन नियमों के प्रावधानों को पूरा करना होगा

२) ऐसे वाहनों को लावारिस नहीं छोड़ा जाएगा

३) ऐसे वाहन सामान्य रूप से पोर्ट में मान्यताप्राप्त सड़कों पर चलाए जाएंगे लकिन उन्हें जहाजी घाटों, ट्रांजिट शेडों, खले स्थानों और ट्रैफिक मैनेजर/सचिव/केंदोय औद्योगिक सुरक्षा बल- (सीआईएसएफ) के कार्यालय प्रभारी जैसे सक्षम पोर्ट प्राधिकारी की विशेष अनुमति के विषयाधीन सामान चढ़ाने-उतारने के उद्देश्य से बनाई गई सभी सड़कों पर चलने की अनुमति होगी।

४) ऐसे सभी मोटर लॉरियों और वाहनों को पोर्ट में प्रवेश करते समय या वहां से निकलते समय तब तक गेट पर रुकना होगा जब तक कि ट्रैफिक मैनेजर और/या सचिव/केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल- (सीआईएसएफ) के कार्यालय प्रभारी जैसे सक्षम पोर्ट प्राधिकारी की ओर से उन्हे अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं मिल जाती और उनके द्वारा मांगे जाने पर वाहन चालकों को जांच के लिए अपना लाइसेंस उनके समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

५) किसी भी वाहन को पोर्ट के भीतर लाइसेंस में प्रदत्त सचिव/केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल- (सीआईएसएफ) के कार्यालय प्रभारी जैसे सक्षम पोर्ट प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित समयावधि से अधिक वहां अंदर रुकने की अनुमति नहीं होगी। बिना वजह और यहां-वहां वैसे ही वाहन दौड़ाने पर भी रोक होगी।

६) वाहनों को पोर्ट क्षेत्र के भीतर अलग-अलग बिंदुओं और स्थलों पर निर्धारित गति पर ही वाहन चलाना होगा।

७) सचिव/केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल- (सीआईएसएफ) के कार्यालय प्रभारी आदि अधिकारी पोर्ट क्षेत्र के भीतर वाहनों की आवाजाही

को नियंत्रित करने में सक्षम प्राधिकारी हैं और उनका निर्णय व निर्देश ही अंतिम व मान्य होगा।

८) सचिव/केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल- (सीआईएसएफ) के कार्यालय प्रभारी आदि पोर्ट प्राधिकारी की विशेष अनुमति के बिना पोर्ट के भीतर पेट्रोल या अन्य ईंधन आदि भरने की अनुमति नहीं होगी।

९) सभी वाहन निर्धारित स्थानों और क्षेत्रों में ही खड़े किए जाएंगे और पार्किंग शुल्क मांगे जाने पर अदा करना होगा।

१०) इस आदेश के अधीन किसी वाहन को जारी लाइसेंस ट्रैफिक मैनेजर द्वारा बिना कोई कारण बताए कभी भी रद्द कर दिया जाएगा और लाइसेंस अवधि के शेष हिस्से, यदि कोई है तो, के लिए राशि का रिफंड नहीं दिया जाएगा।

११) इस आदेश के अधीन किसी वाहन को जीर लाइसेंस उसके शर्तों की उल्लंघना के दंडस्वरूप रद्द कर दिया जाएगा।

३ संलग्न प्रपत्र में वर्णित निर्धारित लाइसेंस शुल्क का भुगतान कर ट्रैफिक मैनेजर पारादीप पोर्ट ट्रस्ट से वैध लाइसेंस प्राप्त किया जाएगा।

४ वाहनों द्वारा पोर्ट की संपतित को पहुंचाए गए किसी भी किस्म के नुकसान या क्षति के लिए वाहनों का मालिक ट्रैफिक मैनेजर द्वारा निर्धारित मुआवजे की राशि अदा करने का उत्तरदायी होगा जो किसी अन्य कानून की धारा तोड़ने की एवज में लगाए गए दंड से अलग होगी।

५ यदि कोई वाहन चालक/उसका मालिक इस आदेश मोटर व्हीकल्स एक्ट १९३९ और उसके अधीन गठित नियमों, कस्टम एक्ट, पारादीप पोर्ट नियमन १९६६ के किसी प्रावधान या ट्रैफिक मैनेजर/सचिव/केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल- (सीआईएसएफ) के कार्यालय प्रभारी जैसे सक्षम पोर्ट प्राधिकारी द्वारा जारी निर्देश का उल्लंघन करता है तो वह ऐसे हर उल्लंघन के बदले दंडनीय होगा जो ट्रैफिक मैनेजर द्वारा कानूनी तौर पर लागू अन्य जुर्मानों के अलावा १००/- रुपए -१००/- रुपए तक बढ़ाया जा सकता है।

हस्ता.

(प्रेमानंद त्रिपाठी)

चेयरमैन

पारादीप पोर्ट ट्रस्ट

लाइसेंस

अधोलिखित शर्तों के विषयाधीन .... से .... की अवधि हेतू पारादीप पोर्ट नियम, १९६६ के नियम ९१ के अधीन व्हीकल नंबर .... (इसके बाद पोर्ट की सीमाओं के भीतर किसी सड़क पर या उससे सट जहाजी घटों, तटों पर सामान/यात्रियों की ढुलाई हेतू इस्तेमाल होने वाले वाहन के रूप में जाना जाएगा) के लिए मै. .... को यह लाइसेंस जारी किया जाता है)

१ नियम एवं शर्तें:-

१) यह परमिट उपरोक्त प्रदत्त अवधि के लिए वैध होगा, बशर्ते उसे पूर्व में रद्द न कर दिया गया हो।

२) लाइसेंस जारी करते समय उसके लिए निर्धारित शुल्क या समय-समय पर निर्धारित ऐसी कोई अन्य राशिदेय होगी।

३) किसी वाहन को प्रदत्त लाइसेंस पारादीप पोर्ट ट्रस्ट क ट्रैफिक मैनेजर द्वारा बिना कोई कारण बताए रद्द किया जा सकता है और उसकी शेष अवधि के लिए संबंधित राशि का रिफंड भी नहीं किया जाएगा।

४) मोटर लॉरियां, ट्रक और सामान आदि की ढुलाई में अन्य वाहन व बसों, मिनी बसों, स्टेज कैरिज वाहनों आदि किसी भी सड़क या पोर्ट के भीतर जहाजी घाट या पोर्ट सीमा के भीतर चलाए जाएंगे, या पोर्ट के भीतर आने की अनुमति नि नलिखित शर्तों के साथ होगी नामत:

१) ऐसे सभी वाहनों को मोटर व्हीकल्स एक्ट, १९३८ और उसके अधीन नियमों के प्रावधानों को पूरा करना होगा

२) ऐसे वाहनों को लावारिस नहीं छोड़ा जाएगा

३) ऐसे वाहन सामान्य रूप से पोर्ट में मान्यताप्राप्त सड़कों पर चलाए जाएंगे लकिन उन्हें जहाजी घाटों, ट्रांजिट शेडों, खले स्थानों और ट्रैफिक मैनेजर/सचिव/केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल- (सीआईएसएफ) के कार्यालय प्रभारी जैसे सक्षम पोर्ट प्राधिकारी की विशेष अनुमति के विषयाधीन सामान चढ़ाने-उतारने के उद्देश्य से बनाई गई सभी सड़कों पर चलने की अनुमति दी जा सकती है।

४) ऐसे सभी मोटर लॉरियों और वाहनों को पोर्ट में प्रवेश करते समय या वहां से निकलते समय तब तक गेट पर रुकना होगा जब तक कि ट्रैफिक मैनेजर और/या सचिव/केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल- (सीआईएसएफ) के कार्यालय प्रभारी जैसे सक्षम पोर्ट प्राधिकारी की ओर से उन्हें अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं मिल जाती और उनके द्वारा मांगे जाने पर वाहन चालकों को जांच के लिए अपना लाइसंस उनके समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

५) किसी भी वाहन को पोर्ट के भीतर लाइसेंस में प्रदत्त सचिव/केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल- (सीआईएसएफ) के कार्यालय प्रभारी जैसे सक्षम पोर्ट प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित समयावधि से अधिक वहां अंदर रुकने की अनुमति नहीं होगी। बिना वजह और यहां-वहां वैसे ही वाहन दौड़ाने पर भी रोक होगी।

६) वाहनों को पोर्ट क्षेत्र के भीतर अलग-अलग बिंदुओं और स्थलों पर निर्धारित गति पर ही वाहन चलाना होगा।

७) सचिव/केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल- (सीआईएसएफ) के कार्यालय प्रभारी आदि अधिकारी पोर्ट क्षेत्र के भीतर वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित करने में सक्षम प्राधिकारी हैं और उनका निर्णय व निर्देश ही अंतिम व मान्य होगा।

८) सचिव/केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल- (सीआईएसएफ) के कार्यालय प्रभारी आदि पोर्ट प्राधिकारी की विशेष अनुमति के बिना पोर्ट के भीतर पेट्रोल या अन्य ईंधन आदि भरने की अनुमति नही होगी।

९) सभी वाहन निर्धारित स्थानों और क्षेत्रों में ही खड़े किए जाएंगे और पार्किंग शुल्क मांगे जाने पर अदा करना होगा।

१०) इस आदेश के अधीन किसी वाहन को जारी लाइसेंस ट्रैफिक मैनेजर द्वारा बिना कोई कारण बताए कभी भी रद्द कर दिया जाएगा और लाइसेंस अवधि के शेष हिस्से, यदि कोई है तो, के लिए राशि का रिफंड नहीं दिया जाएगा।

११) इस आदेश के अधीन किसी वाहन को जीर लाइसेंस उसके शर्तों की उल्लंघना के दंडस्वरूप रद्द कर दिया जाएगा।

लाइसेंसधारक ट्रैफिक मैनेजर या इसके दायरे में आते कामकाज के संबंध में अधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा प्रदतत निर्देशों का पालन करेगा।

५ कोई भी लाइसेंसधारक पोर्ट के किसी अन्य कर्मचारी को उसके कामकाज के सदर्भ में न तो उसका शोषण करेगा, न हमला करेगा, न प्रतिरोध करेगा, न रोकेगा, न बाधा पहुचाएगा, न भड़काएगा और न ही ऐसी किसी भी गतिविधि को करने की पेशकश करेगा, ऐर न ही वैध

आदेशों का उल्लंघन करेगा या उसके खिलाफ अमर्यादित अथवा गाली-गलौच की भाषा का इस्तेमाल करेगा और न ही किसी और को ये सब करने के लिये भड़कायेगा।

६ लाइसेंसधारक को ट्रैफिक मैनेजर/सचिव या समय-समय पर प्राधिकृत किए जाने वाले अन्य अधिकारी-अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट दिशा-निर्देशां की अनुपालना करनी होगी।

७ लाइसेंसधारक के वाहन से यदि पोर्ट की किसी भी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो चालक या उसका मालिक वहां किसी अन्य कानून के तहत उन पर लगाए जाने वाले दंड के अलावा वे पोर्ट की संपतित के नुमसान की दिशा में ट्रैफिक मैनेजर द्वारा निर्धारित किया जाने वाला मुआवजा अदा करने को उत्तरदायी होंगे।

८ यदि कोई वाहन चालक/उसका मालिक इस आदेश मोटर व्हीकल्स एक्ट १९३९ और उसके अधीन गठित नियमों, कस्टम एक्ट, पारादीप पोर्ट नियमन १९६६ के किसी प्रावधान या ट्रैफिक मैनेजर/सचिव/केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल- (सीआईएसएफ) के कार्यालय प्रभारी जैसे सक्षम पोर्ट प्राधिकारी द्वारा जारी निर्देश का उल्लंघन करता है तो वह ऐसे हर उल्लंघन के बदले दंडनीय होगा जो ट्रैफिक मैनजर द्वारा कानूनी तौर पर लागू अन्य जुर्मानों के अलावा १००/- रुपए -१००/- रुपए तक बढ़ाया जा सकता है।

लाइसेंसिंग प्राधिकारी के हस्ताक्षर

ट्रैफिक मैनेजर

(मैं एतदद्वारा मुझे जारी किए गए लाइसेंस में प्रदत्त और पारादीप पोर्ट रूल्स, १९६६ के अधीन गठित उपरोक्त नियमों एवं शर्तों का पालन करने का वचन देता हूं)

लाइसेंसधारक के हस्ताक्षर